राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कविता गोदारा आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :– 166/2016

निर्णय दिनांक : 15.09.2023

गिरधारी वगै0 बनाम विद्यादेवी वगै0

1. गिरधारी
2. मनीराम
3. मामराज
4. बाबूलाल

समस्त पुत्रगण नागरमल जाति माली निवासी झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं

बनाम ——— वादीगण

1. विद्यादेवी पत्नी ग्यारसीलाल
2. अरिविन्द पुत्र ग्यारसीलाल
3. अशोक पुत्र ग्यारसीलाल
4. दिनेश पुत्र ग्यारसीलाल
5. ख्यालीराम पुत्र नागर मल

समस्त पुत्रगण नागरमल जाति माली निवासी झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं

6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनू।

——— प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणार्थ रिकॉर्ड दुरूस्ती व बंटवारा

–: निर्णय :–

वादी की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री संदीप सैनी एक वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम/कस्बा झुंझुनूं तहसील व जिला झुन्झुनू की सरहद में जमीन हाल ख.नं. 2119 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा नं. 2120 रकबा 0.75 है0, खसरा नं. 2121 रकबा 0.85 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 2.10 है0 स्थित है। वादपत्र में वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 की पैतृक खातेदारी की भूमि है। इस भूमि के पूर्व खातेदार नागरमल थे जो वादी व प्रतिवादी 5 के पिता तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के दादा हैं। विवादित आराजी का वादी व प्रतिवादीगण ने बाहमी बंटवारा कर आपसी सहमती से काबिज काश्त हैं। उक्त जमीन बाबत प्रतिवादी संख्या 5 के हक में पतासी देवी ने दिनांक 28.03.2013 को अपने हिस्से का हक त्याग कर दिया जो नामान्तकरण संख्या 2491 से दर्ज होकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद है। विवादित आराजी वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि रही है ओर विभाजन के अनुसार नागरमल का नाम दर्ज रिकॉर्ड हुआ। नागरमल की मृत्युपरांत राजस्व रिकॉर्ड नागरमल के वारिसान के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुआ परन्तु वारिसान के खातेदारी अधिकारों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया। चूंकि नागरमल खसरा नं. 2119, 2120, 2121 पर काबिज काश्त चला आ रहा है और खसरा नं. 2564/3778 को राजस्व कर्मियों की लापरवाही से खसरा नं. 2121 की जगह गलत दर्ज कर दिया गया, जिसको न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 04.11.2015 को प्रकरण संख्या 51/06 में दुरूस्त किया जा चुका है, जिसका

Scanned with OKEN Scanner

दुरूस्ती रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में दर्ज किया जाना आवश्यक है। वादीगण ने जब प्रतिवादीगण को दुरूस्ती व बटवारा करने बाबत कहा तो उन्होने खाता विभाजन से इन्कार कर दिया। तब वादीगण को न्यायालय में वाद दायर करना पड़ा।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर इस न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियानुसार दिनांक 28.08.2017 को वाद वादीगण प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री जारी की गई तथा तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गये। तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा अपने पत्र क्रमांकः राजस्व/18/739 दिनांक 22.04.2019 के द्वारा इस न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव भिजवाये गये। विभाजन प्रस्ताव शामिल मिसल किये गये। न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 51/06 निर्णय दिनांक 04.11.2022 बाबत रिपोर्ट तहसीलदार ली गई, जिसकी रिपोर्ट तहसीलदार ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2020/1639 दिनांक 14.09.2020 के द्वारा अपनी रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश की जो शामिल मिसल की गई। वकील वादी के निवेदन पर आज बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री संदीप सैनी ने निवेदन किया कि न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 51/06 निर्णय दिनांक 04.11.2022 का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किया जाये। अधिवक्ता वादी ने पत्रावली में संलग्न प्रतिवादीगण की सहमति व लिखित बहस का भी हवाला दिया। अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया कि मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। बहस वकील वादीगण पर बगौर मनन किया गया तथा रिपोर्ट तहसीलदार व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन वाद वादी अंतिम रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

—: निर्णय :—

वाद वादीगण सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री किया जाता है कि न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 51/06 निर्णय दिनांक 04.11.2022 का मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 14.09.202 राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर संलग्न वादपत्र में वर्णित भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार झुंझुनू द्वारा पत्र क्रमांकः राजस्व/18/739 दिनांक 22.04.2019 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव व रिपोर्ट तहसीलदार राजस्व/2020/1639 दिनांक 14.09.2020 निर्णय/डिक्री का हिस्सा रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना—अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(कविता गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं

Scanned with OKEN Scanner

अन्नपूर्ण प्रिण्टर्स, झुंझुनू-01592-232293

अंतिम डिक्री मुकदमा इस्तदायी (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कविता गोदारा आर.ए.एस.

उनवान :– मो0 हुसैन वगै0 बनाम मो0 यासीन वगै0

मुकदमा नं. :– 166/2016 दावा बाबत घोषणार्थ

निर्णय दिनांक : 15.09.2023

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री संदीप सैनी की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 15.09.2023 को श्रीमती कविता गोदारा उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर वाद वादी अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 51/06 निर्णय दिनांक 04.11.2022 का मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 14.09.202 राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर संलग्न वादपत्र में वर्णित भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार झुंझुनू द्वारा पत्र क्रमांक: राजस्व/18/739 दिनांक 22.04.2019 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव व रिपोर्ट तहसीलदार राजस्व/2020/1639 दिनांक 14.09.2020 निर्णय/डिक्री का हिस्सा रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(कविता गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	6	स्टाम्प वकालतनामा	35
स्टाम्प वकालतनामा	36	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	
योग	42	योग	35

(कविता गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
गिरधारी V/S विद्या देवी. मु. नं. 166/2016	
27/9/23 वकील वादी द्वारा प्रा.पत्र मिसल तलबी व प्रा.पत्र अ.धारा 151 CPC का प्रस्तुत करने पर सीगेदार से फाईल तलब कर पेशी में ली गई। वकील वादी के प्रा.पत्र 151 CPC पर सुना गया बाद अवलोकन पत्रावली व बगौर मनन बहस विद्वान अधिवक्ता प्रा.पत्र 151 CPC स्वीकार किया जाता है तथा निर्णय व डिक्री में टंकणीय अशुद्धी (i) अंतिम डिक्री के पृष्ठ पर अनवान "मौ. हुसैन बनाम मो. यासीन वगैरा" के स्थान पर "गिरधारी बनाम विद्यादेवी वगै." तथा (ii) निर्णय के पृष्ठ सं. 2 की 8 वी तथा 12वी लाईन दिनांक "4.11.22" के स्थान पर 4.11.2015 (iii) मुख्य निर्णय की दूसरी लाईन में 4.11.22 के स्थान पर 4.11.2015 व निर्णय की 3 वी लाईन में दिनांक 14.9.202 के स्थान पर 14.9.2020 (iv) पर्चा डिक्री में दिनांक 4.11.22 के स्थान पर 4.11.2015 व दिनांक 14.9.202 के स्थान पर दिनांक 14.9.2020 दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते है। यह आदेशिका निर्णय/डिक्री दिनांक 15.9.2023 का भाग रहेगी। पत्रावली फैसल शुमार हो तथा दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)	